मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-भोपाल

क्रमांक: एफ 9-4/2017/नियम/चार भोपाल,दिनांक 3 - 4-2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय- राष्ट्रीय पेंशन योजना संबंधी अभिलेखों के विनष्टीकरण की समयसीमा का निर्धारण ।

—◆—

मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 01-01-2005 को या उसके पश्चात् नवनियुक्त शासकीय सेवकों के लिए लागू राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित अभिलेखों के विनष्टीकरण की समय सीमा के निर्धारण नहीं होने से विभिन्न स्तरों पर अभिलेखों के रखरखाव में कठिनाई हो रही थी । अतः राज्य शासन ने राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित अभिलेखों के लिए निम्नानुसार समय सीमा निर्धारण का निर्णय लिया है :-

एन.पी.एस. संबंधित अभिलेख

स.क्रं.	अभिलेख का नाम	स्तर	अभिलेख संधारण अवधि
1.	प्रान आवंटन हेतु फार्म-S-1- अनुसार सेवापुस्तिका में प्रविष्टि करना तथा कोषालय में सत्यापन उपरांत सुरक्षित रखना	कार्यालय प्रमुख	सेवानिवृत्ति/मृत्यु के 10 वर्ष बाद तक (सेवा स्वत्व संबंधी विवाद होने पर निराकरण होने तक)
2.	प्रान में विवरण परिवर्तन हेतु फार्म-S-2	कोषालय अधिकारी	03 वर्ष
3.	प्रान कार्ड एवं अधिलेख में फार्म-S-7- फोटो/हस्ताक्षर परिवर्तन	कार्यालय प्रमुख	सेवा अभिलेख की तरह 10 वर्ष
4.	सी.आर.ए. को प्रेषित निकासी प्रकरण	कोषालय अधिकारी	03 वर्ष
5.	वेतन देयक/शासकीय अंशदान देयक कार्यालय प्रति	कार्यालय प्रमुख	40 वर्ष
6.	सी.आर.ए.-एन.एस.डी.एल./कोषालय अधिकारी/कार्यालय प्रमुख/नोडल संचालक पेंशन से पत्राचार	संबंधित कार्यालय प्रमुख	01 वर्ष

2/ आहरण एवं संवितरण कार्यालय एवं कोषालय स्तर में संधारित एन.पी.एस. संबंधित अभिलेखों को उपर्युक्त समयावधि तक सुरक्षित रखा जाए तथा इसके पश्चात् विनिष्टीकरण की नियमानुसार कार्यवाही की जाए ।

3/ म.प्र. कोष संहिता एवं म.प्र. वित्त संहिता के सुसंगत प्रावधानों में संशोधन की कार्यवाही पृथक से की जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनिरुद्ध मुकर्जी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग